International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-2, Issue-3 June- 2015 P-ISSN 2348-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक नामांकन का सर्वव्यापीकरण तथा सार्वभौमीकरण की संकल्पना का संक्षिप्त अध्ययन

Smt.Seema Pal
Research Scholar
Mewar University Rajasthan

Dr.M.K Tiwari
Supervisor
Mewar University Rajasthan

शोध सार
शिक्षा मानव विकास की प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। यह मानव शक्ति संवर्धन की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है उच्चतर जीवन स्तर एवं बेहतर गुणवत्ता। मानवाधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र (1948) में कहा गया था कि प्रत्येक व्यकित को शिक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा में कहा गया था कि 2015 तक सम्पूर्ण विश्व में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण हो। भारत जैसे देश में जहाँ 55 करोड़ जनसंख्या–संसाधन 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की है, के लिए शिक्षा राष्ट्रीय विकास का वाहक बनसकती है। शिक्षा के सार्वभौमीकरण से तात्पर्य शैक्षिक अवसरों के विस्तार से है, जिसमें सभी का समावेश हो सके। फलतः कोई भी व्यकित शैक्षिकतंत्र से बाहर न रहे। आज के वैश्विक युग में ज्ञान ही वृद्धि एवं प्रगति का आधार है। अतः शिक्षा का सर्वव्यापीकरण 21वीं सदी की प्रमुख चुनौती है।

प्रस्तावना
यदि भारत में शिक्षा के ऐतिहासिक परिदृश्य को देखा जाय तो यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश में वैदिक काल से ही शिक्षा की समृद्ध परम्परा रही है। किन्तु यह शिक्षा समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित थी। सामान्य जनमानस के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। करीब–करीब यही सिथति बौद्ध काल एवं मध्यकाल में भी रही है, अंग्रेजों द्वारा शुरू की गयी शिक्षा का उद्देश्य भी कुछ लोगों को ही शिक्षित करने तक सीमित था। भारत में सर्वप्रथम सभी के लिए शिक्षा की माँग को 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा रखा गया। उस समय उनके विचारों का व्यापक विरोध हुआ। दरभंगा नरेश ने तो बड़ी संख्या में लोगों के हस्ताक्षर के साथ इसका विरोध किया, उनका तर्क था कि इससे कृषि के लिए श्रमिकों की कमी होगी। इसके पश्चात महात्मा गांधी एवं जाकिर हुसैन (1937) ने इसके आवश्यकता एवं महत्व को रेखांकित किया। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय संविधान में सभी के लिए शिक्षाके लिए उपलब्ध किये गये है।

शोध साहित्य का अध्ययन
शोध कार्य में साहित्य के अध्ययन से नवीन समस्या के चयन में उपयोगी सिद्धान्त, विचार, व्याख्याएँ अथवा परिकल्पनाएँ प्राप्त होती है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के आधार पर शोधकर्ता शोध परिकल्पनाएँ बना सकता है। साहित्यिक अध्ययन समस्या–समाधान के लिए उचित विधि, प्रक्रिया, तथ्यों के साधन और सांख्यिकी तकनीक का सुझाव देता है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के परिणामों के विश्लेषीकरण में उपयोगी निष्कर्षों और तुलनात्मक तथ्यों का निर्धारण होता है। शोधकर्ता सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करने से शोध में निपुणता प्राप्त करता है। पाठ्यपुस्तक से प्रायः समस्या का सैद्धांतिक स्वरूप प्राप्त होता है। विशिष्ट क्षेत्र और चरों के विषय में गहन ज्ञान विकसित करना अत्यन्त आवश्यक है। अपनी समस्या की प्रकृति के विषय के अर्न्तदृष्टि उत्पन्न करने के पश्चात् शोधकर्ता को अपने क्षेत्र के प्रयोग सिद्ध अनुसंधानों का पुर्ननिरीक्षण करना चाहिए। इस पक्ष का सबसे अच्छा सन्दर्भ शोध की सूची पुस्तिका शैक्षिक अनुसंघान का पुर्ननिरीक्षण आदि है। अनुसन्धान के लिए पुस्तकालय सामग्री क्रमानुसार होनी आवश्यक होती है। साहित्य के पुर्ननिरीक्षण को प्रारम्भ करने का स्थान शोधकर्ता पर निर्भर करता है कि वह समस्या क्षेत्र से कितना अवगत है। पूर्णरूपेण भली–भाँति पढ़े हुए शोधकर्ता को केवल

नवीन लेखों और शोधों के पुर्ननिरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक अनुसंधान के साहित्य के अध्ययन के लिए बहुत से ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार की पुस्तक साहित्यिक अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। उपर्युक्त सूचनाओं की प्राप्ति तथा उनसे पर्याप्त परिचय प्राप्त करना दोनों एक ही बात नहीं है। गुड, बार एवं स्किेट्स के अनुसार, ''शिक्षा में व्यावहारिक सूचना का वर्तमान स्तर अत्यधिक निम्न है।'' शोधकर्ता अपने क्षेत्र से सम्बन्धित नवीनतम् सूचनाएँ एकत्रित करने के लिए साधनों एवं स्रोतों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

''डी0 पानीग्रही, एस0 सी0 दास तथा डी0सी0 दास (1972) ने उडीसा, में ''प्रारम्भिक स्तर पर अवरोधन के कारणों का पता लगाने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए अध्ययन किया।'' उड़ीसा के पाँच शैक्षिक जिले भाँजनगर, फुलबनी, बेलासारे, अंगुल तथा बारगढ़ जो कि इस राज्य के पाँच भाषायी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को प्रदत्त संकलन के लिए चयनित किया गया है।

वी0पांडुरंग सत्यनारायण राजू (2012) चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ने अपने शोध के लिए प्रारम्भिक शिक्षा केसार्वभौमीकरण में शैक्षिक विसंगतियों का अध्ययन'' (आन्ध्र प्रदेश व्यक्तिगत अध्ययन) विषय पर अनुसंधान कार्य किया है।

इस अध्ययन के उद्देश्य आन्ध्र प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर का अध्ययन करना था। यह अध्ययन लिंग, जाति तथा ग्रामीण/शहरी आदि के आधार पर आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में साक्षरता के सन्दर्भ में था। प्राथमिक स्तर पर नामांकन के सन्दर्भ में तथा नामांकन की प्रवृत्ति तथा साक्षरता–दर में सम्बन्ध की जांच के सन्दर्भ में था। विभिन्न प्रबन्धन विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं में जिलेवार विसंगतियों का तथा इनके कारणों का अध्ययन किया गया है। इन विसंगतियों की सरकारी नीतियों के सन्दर्भ में व्याख्या की गई है।

साहू रूद्रनारायण (2014) ने उत्कल विश्वविद्यालय में ''प्राथमिक स्तर पर छात्राओं में शालात्याग कार्यकारी कारकों का विषय'' पर अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय की कुछ छात्राओं द्वारा शालात्याग के कारणों की पहचान करना था। अध्ययनकर्ता ने सर्वेक्षण विधि द्वारा प्रदन्तों का संकलन किया।

प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण की संकल्पना

भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने से है। इस प्रकार शिक्षा का अधिकार सभी के लिए है न कि कुछ चुने हुए लोगों के लिए। इसका लक्ष्य है, अमीर–गरीब, शहरी एवं सुदूर ग्रामीण सभी बच्चों केलिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षा के सार्वभौमीकरण से तात्पर्य यह भी है कि सभी को प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त में दिया जाय। इसका तात्पर्य शुल्क मुक्त शिक्षा के साथ स्टेशनरी, ड्रेस मध्याहन भोजन आदि उपलब्ध कराने से है।

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के तीन चरण है

1. सुविद्याओं का सर्वव्यापीकरण : प्राथमिक शिक्षा की सुविद्याओं को सर्वव्यापी बनाने से अभिप्राय सभी बालकों को उनके घर के नजदीक स्कूल होने से है, जिससे सभी बालक सुगमतापूर्वक स्कूल जा सके। प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्कूल खोलने होगे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल ऐसे स्थानों पर खोले जाय जहाँ पहुँचने में छात्रों को कठिनाई न हो।

2. नामांकन का सर्वव्यापीकरण : इसका तात्पर्य सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश दिलाने से है। साधारणतः देखा जाता है कि बहुत से लड़कियाँ एवं लड़के इसमें प्रवेश नही लेते है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थित प्रायः शहरी क्षेत्रों से बदतर है।

3. टिके रहने का सार्वभौमीकरण : इसका तात्पर्य प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के पश्चात शिक्षा के समाप्ति तक स्कूल में बने रहने से है। साधारणतः देखा जाता है कि अनेक विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किये बिना विद्यालय छोड़ देते है। जब तक शिक्षा के के दौरान विद्यालय छोड़नेवाले छात्रों की संख्या में कमी नही लाई जाती है, तब तक अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्यपूरा नही होगा।

इस प्रकार उपरोक्त तीनों प्रकार का सार्वभौमीकरण विद्यार्थियों पर कोई दबाव बनाकर नहीं किया जा सकता है। राज्य को वे सभी सुविद्याएँ उपलब्ध करानी होगी जिससे वह बिना किसी बाधा के अपनी 8 साल की शिक्षा पूरा कर सके।

प्रारम्भिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन

भारतीय प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय एवं अवरोधन कोई नई समस्या नहीं है। सन 1929 हर्टोग कमीशन ने अपव्यय व अवरोधन की समस्याकी तरफ ध्यान दिया तथा इससे होने वाली क्षति का अनुमान लगाया। उन्होंने छात्रों के अपनी पढ़ाई पूरी किये बिना विद्यालय छोड़कर चले जाने कोअपव्यय कहा तथा अनुत्तीर्ण होने को अवरोधन या स्थिरता कहा। अपव्यय व अवरोधन के कारण राष्ट्र का एक विशाल मानव श्रम बेकार चला जाता है। इस प्रकार उनकी शिक्षा पर व्यय किया गया धन एवं मानव श्रम व्यर्थ हो जाता है। यदि भारतीय संविधान की धारा–45 में स्वीकृत अनिवार्य शिक्षा की आयु सीमा (6 से 14 वर्ष) को आधार माने तो कह सकते है कि 14 वर्ष की आयु से पूर्व बालक का विद्यालय से हट जाना ही शैक्षिक अपव्यय है।

भारत में प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण

शिक्षा किसी भी व्यकित, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति का आधार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान के भाग 4, अनुच्छेद 45 में राज्य को सुझाव दिया है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू होने के पश्चात विभिन्न राज्यों ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग–अलग प्रयास किये। चूँकि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पूर्व शिक्षा राज्य सूची के अन्तर्गत एक विषय था, इसलिए इस विषय पर कोई राष्ट्रीय सहमति नहीं बन पायी। सन 1966में कोठारी आयोग ने देश के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूली शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की थी। कोठारी आयोग ने कहा था कि सरकार शिक्षा पर खर्च इस तरह बढ़ाये कि आगामी 20 वर्षों में, यानी 1986 तक यह सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) का 6 प्रतिशत हो जाय। जाहिर है यह लक्ष्य हासिल किया गया होता और बरकरार रखा गया होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। इसी तरह 1974 में घोषित बाल नीति, 1986 की नई शिक्षा नीति एवं प्रोग्राम आफ एक्सन के तहत प्रयास किये गये किन्तु हर बार दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आड़े आती रही। भारत ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इस चार्टर की धारा 8 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने की बात कही गयी है। इस चार्टर के मुताबित 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यकितयों को बालक–बालिकाएं माना गया। किन्तु हस्ताक्षर करने के बावजूद भारतमें इसे लेकर प्रतिबद्धता नहीं दिखायी गयी है।

आज तक भारतीय शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जायेगा 1993 के उच्चतम न्यायालय के जस्टिस उन्नीकृष्णन का फैसला, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 45 में निर्देशित 14 साल की उम्र तक के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने की बात की थी। इस फैसले के मुताबिक 6 साल से कम उम्र के बच्चों को सन्तुलित पोषण, स्वास्थ्य सुरक्षित बचपन और पूर्व प्राथमिक शिक्षा (के0जी0 नर्सरी) का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। इसी तरह 6 से 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों को 8 साल की पढ़ाई की प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था का आदेश था।फैसले में यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 41 के अनुसार शिक्षा का अधिकार 14 साल की उम्र के बाद भी बरकरार रहेगा यानी कक्षा 12 तक की माध्यमिक और उसके बाद तकनीकी एवं प्रोफेशनल शिक्षा भी इसके दायरे में आयेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ 14 वर्ष उम्र तक के बच्चों का शिक्षा के मौलिक अधिकार देने में सरकार को पैसे की कमी का बहना करने की इजाजत नहीं है, वही 14 वर्ष के बाद की शिक्षा का अधिकार राज्य की आर्थिक हैसियत एवं विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए सीमित किया जा सकता है। उन्नीकृष्णन फैसले के फलस्वरूप ही 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन के अधिकार के साथ अनुच्छेद 21 क के रूप में जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार कानून जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, भी उन्नीकृष्णन फैसले का प्रतिफल है।

शिक्षा के सार्वभौयीकरण के लिए सरकार द्वारा किए गये प्रमुख प्रयास

1. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (मई 1988) – इसका लक्ष्य था 2007 तक साक्षरता दर 75 प्रतिशत तक लाना। इसे प्राप्त करने के लिए विद्यालयी शिक्षा के साथ ही प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा देने की योजना बनायी गयी।

2. महिला समाख्या योजना (1989) – नई शिक्षा नीति (1986) के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस योजना की शुरूआत हुई। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, विशेष रूप सामाजिक आर्थिक दृष्टि वंचित वर्गों की महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास किया गया।

3. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994) – वर्तमान समय में यह योजना 18 राज्यों के 273 जिलों में कार्यरत है। इस योजना का 85 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार द्वारा एवं 15 प्रतिशत खर्च राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

4. मध्याह्न भोजन योजना (1915 अगस्त 1995) – इसके उद्देश्य थे नामांकन बढ़ाना, उपस्थिति बढ़ाना साथ ही साथ पोषण स्तर में सुधार करना।

5. सर्वशिक्षा अभियान (2001) – इसके अन्तर्गत देश के सभी जिलों को शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों, मलीन बस्तियों एवं जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। यह योजना सरकार (केन्द्र एवं राज्य) एवं जनसमुदाय द्वारा चलाया जा रहा है। यह लक्ष्य आधारित कार्यक्रम है इसका लक्ष्य था 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर बालक बालिका एवं सामाजिक अन्तर को समाप्त करते हुए 8 वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित हो सके। यह लक्ष्य अब बढ़ाकर 2015 तक कर दिया गया है। इस अभियान की प्रमुख विशेषताएँ निम्न है –

1. बच्चे ज्ञान समाज का हिस्सा बने
2. समग्र उपागम
3. संस्थान सुधार एवं क्षमता निर्माण का प्रयास
4. जन केनिद्रत जिसमें, अध्यापक, अभिभावक पंचायती राज संस्थाएँ तथा अन्य संस्थाएँ शामिल है।

6. साक्षर भारत (8 सितम्बर 2009) – लैगिक विभेद एवं सामाजिक विषमता समापित एवं शिक्षा का आधुनिकीकरण इसका प्रमुख उद्देश्य था।

7. शिक्षा का अधिकार कानून (1 अप्रैल 2010) – यह कानून प्रत्येक बच्चे (6 से 14 वर्ष) को शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करती है।इस कानून के प्रमुख तथ्य निम्न है –

1. छात्र शिक्षक अनुपात – 30 : 1।
2. 15 लाख शिक्षकों की भर्ती हो।
3. निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट गरीब बच्चों के लिए।
4. विद्यालय में दाखिले के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं।
5. भवन, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का उचित प्रबन्ध।
6. अध्यापक एवं प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व।
7. उम्र के अनुसार कक्षा में नामांकन

उपलब्धियाँ

भारत वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा प्रारम्भिक शिक्षा तंत्र वाला देश है जहाँ 15 करोड़ से अधिक बच्चे विद्यालय में पंजीकृत है एवं लगभग 30 लाख से अधिक शिक्षक है। वर्तमान समय में प्रारम्भिक शिक्षा में बड़े पैमाने पर वृद्धि हो रही है। भारत में साक्षरता दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई है,जहाँ 1951 में यह मात्र 18.33 प्रतिशत थी, वही 2001 में यह 65.38 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार साक्षरता के प्रतिशत में साढ़े तीन गुने की वृद्धि हुईहै। परन्तु देश के वृहद आकार के आकार के कारण विश्व के सर्वाधिक निरक्षरों की संख्या भारत में पायी जाती है

तालिका–1

साक्षरता दर : जाति समूह एवं लिंग के आधार पर सर्वेक्षण

वर्ग	प्रकार	साक्षरता	साक्षरता 2010
सामान्य	व्यक्ति	18–33	64–85
	पुरुष	27–16	75–26
	महिला	8–86	52–67
अनुसूचित जनजाति	व्यक्ति	–	54–7
	पुरुष	–	66–6
	महिला	–	41–9
जनजाति	व्यक्ति	–	47–1
	पुरुष	–	59–2
	महिला	–	34–8

स्रोत – जनगणना 1951 से 2010

तालिका देखने से स्पष्ट होता है कि सभी वर्गों की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। पुरूषों की तुलना में महिलाओं के साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है।

तालिका–2

शिक्षा में प्रगति की कुछ उपलब्धियाँ

वर्ग	वर्ष	
	1950–51	2013–14
साक्षरता दर	18–3	64–10
विद्यालय	0–23	1–28
जनरल कालेज	370	12928
व्यावसायिक कालेज	208	8827
विश्वविद्यालय	27	398
संकल पंजीकरण अनुपात	32–1	95–98
प्रारम्भिक स्तर पर	0–38	0–94
खर्च	1–5	4–54

स्रोत : योजना 2014

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि साक्षरता दर में वृद्धि के साथ ही सभी स्तर पर शिक्षा संस्थाओं की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण पंजीयन एवं जेण्डर पैरिटी इण्डेक्स हमारी शैक्षिक उपलबिध को इंगित करते है। शिक्षा पर खर्च के प्रतिशत में दोगुनी से अधिक वृद्धि हुई है।

कुछ अन्य उपलब्धियाँ

1. पहुँच – ग्रामीण क्षेत्रों की 99 प्रतिशत जनसंख्या के लिए 1 किमी0 के दायरे में प्राथमिक विद्यालय
2. सकल पंजीकरण अनुपात – 114.61 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में एवं 77.50 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में (2007–08)
3. सकल पंजीयन – प्राथमिक स्तर 124.9 एवं उच्च प्राथमिक स्तर 76.3
4. सकल पंजीयन (57 के लिए) – प्राथमिक स्तर 129.29 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 74.44
5. प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर – यह 13.48 प्रतिशत से 25.55 प्रतिशत तक कम हुआ है। (2007–08)

6. छात्र शिक्षक अनुपात – 46 प्रतिशत प्राथमिक स्तर 35 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर
7. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए – 29.57 लाख बच्चे पहचाने गये एवं 24.77 लाख (83 प्रतिशत) विद्यालय में पंजीकृत
8. विद्यालयों की संख्या – 789950 प्राथमिक विद्यालय एवं 320354 उच्च प्राथमिक विद्यालय।

चुनौतियाँ

वर्तमान समय में भारत विश्व के सबसे बड़े प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था वाला देश है। किन्तु विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या भी विश्व में सर्वाधिक है, जो इस प्रकार की जनसंख्या का 22 प्रतिशत है। आज तक सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं हो पाया है। विद्यालय में ठहराव की स्थितियाँ तो और भी दयनीय है, विद्यालय में तीन तरह से पलायन हो रहा है प्रथम अर्द्ध दैनिक (दोपहर के भोजन के बाद) दूसरा साप्ताहिक एवं तीसरा अर्द्धवार्षिक पलायन (छात्रवृत्तियाँ, ड्रेस एवं निःशुल्क योजनाओं के लाभोपरान्त)। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौयीकरण के सामने प्रमुखचुनौतियाँ निम्न है –

विद्यालय से पलायन

विद्यालय से पलायन शिक्षा के सामने प्रमुख समस्या है। नीचे तालिका से स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 से 8 तक पहुँचने में लगभग आंधे बच्चे विद्यालय छोड़ने के लिए बाध्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों में यह दर और भी भयावह है। यदि कक्षा 1 में 100 बच्चें नामंकित होते है तो मात्र 39 बच्चें ही दसवीं तक पहुँच पाते है।

तालिका–3

विद्यालय छोड़ने की दर (2013–14 में)

वर्ग	कक्षा	
सभी	48–82	62–64
अनुसूचित जाति	55–23	72–58
अनुसूचित जनजाति	64–89	81–62

स्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय रिपोर्ट 2013–14

ग्रामीण नगरीय विषमता

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सिथति नगरीय शिक्षा की तुलना में बदतर है। आज अच्छे–अच्छे शिक्षण संस्थान शहरों में हैं, लोगों को अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शहरों में आना पड़ता है। दोनों की साक्षरता दर में काफी अन्तर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 59.21 प्रतिशत है एवं नगरीय क्षेत्रों में 80.06 प्रतिशत है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर के लैंगिक अन्तर में भी असमानता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अन्तर 25 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्रों में 16 प्रतिशत है।

क्षेत्रीय विषमता

यदि क्षेत्रीय एवं प्रान्तीय स्तर पर देख तो साक्षरता में अन्तर पाया जाता है। केरल (90.86) मिजोरम (88.8) लक्षद्वीप (86.66) गोवा (82.0) आदिराज्यों में साक्षरता दर बेहतर है, जबकि बिहार (47 प्रतिशत), झारखण्ड (53.56 प्रतिशत) अरूणांचल प्रदेश (54.34) आदि राज्यों की सिथतिसाक्षरता के परिपेक्ष्य में बदतर है। यदि लैंगिक विषमता के दृष्टि से देख तो मिजोरम की सिथति सबसे अच्छी है। सामान्यतः जिन राज्यों मेंसाक्षरता दर कम है वहाँ लैंगिक अन्तर अधिक पाया जाता है।

गुणवत्ता का अभाव

आज के शैक्षिक व्यवस्था में अधिकांश सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों का गुणवत्ता से कोई लेना देना नही है। पाँचवीं कक्षा तक के अधिकांश बच्चे एक भी सही वाक्य नही लिख पाते है। प्रो0 जे0एस0 राजपूत के अनुसार कक्षा 5 के 70 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा दो के गणित के सवाल हल नही करपाते है। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा

व्यवस्था में हम ऐसे बचों को शिक्षित कर रहे है जिसके द्वारा उनके जीवन में कोई नये अवसर प्राप्त नहीं होते है।

स्कूली व्यवस्था में अन्तर

कोठारी आयोग (1964–66) ने पड़ोसी विद्यालय की अवधारणा पर आधारित समय स्कूली प्रणाली की अनुशंशा करते हुए कहा था कि इसके बिनासमतामूलक एवं समरस समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। किन्तु आज के स्कूली शिक्षा को देखें तो सरकारी विद्यालयों (नवोदय एवं केन्द्रीय विद्यालयों को छोड़कर) में उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी है हैसियत कम होती है, जबकि धनी वर्ग के बच्चे महगें तथा कथित पब्लिक स्कूलों में पढ़तेहै जहाँ उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध है। इस प्रकार शिक्षा समाज को दो वर्गों में बाट रही है। शिक्षा का अधिकार कानून में निजी विद्यालयोंमें 25 प्रतिशत सीटे वंचित वर्गों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है किन्तु इससे केवल कुछ लोगों को ही फायदा हो सकता है।

सरकारी व्यय में कमी

कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करने की संस्तुति की थी। किन्तु आज तक 4 प्रतिशत से अधिक नही होसका। सरकार बार–बार संसाधनों का रोना–रोकर शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती रही है।

शिक्षकों एवं अन्य संरचनात्मक सुविद्याओं का अभाव

शिक्षक–छात्र अनुपात राष्ट्रीय मानक से कम है इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का अभाव है। सरकार कम मानदेय पर अशंकालिक शिक्षकों सेशिक्षण कार्य करा रही है, ये शिक्षा मित्र, शिक्षा के लिए शत्रु साबित हो रहै है। इसके साथ ही इन विद्यालयों में सूचना प्रसार तकनीकी का पूर्णताअभाव पाया जाता है।

गरीबी एवं कुपोषण

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004–05 के अनुसार देश की 27.5 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थय सर्वेक्षण (3) के अनुसार पाँच वर्ष से कम उम्र के 46 प्रतिशत बच्चे कुपोषित है। इन सभी का अप्रव्यक्ष प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त अभिभावकों के नकारात्मक रूख, निरक्षरता एवं घरेलू कार्यों तथा मजदूरी के कार्यों में बच्चों के लगाया जाना भी शिक्षा के सार्वभौमीकरण के सामने प्रमुख चुनौतियाँ है। आज के वैश्वीकरण के बढ़ते हुए दौर में वहीं सफल हो सकता है, जिसमें गुणवत्ता है। प्रारम्भिक शिक्षा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का आधार है अतः यदि हम उच्च शिक्षा को बढ़ावा दे तो यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाय। इसके लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्य सरकारें सहयोगात्मक रणनीतियाँ अपनाये जिससे गुणवत्ता सुनिशिचत हो सके। इस संदर्भ में सरकारी प्रयास सरहानीय है। सरकार ने नये बजट 2013–14 में सर्वशिक्षा अभियान के बजट में 43 प्रतिशत एवं अन्य योजनाओं के बजट में वृद्धि किया है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। वर्तमान संदर्भ में प्रारम्भिक शिक्षा को केवल पढ़ना–लिखना एवं साधारण गणित तक सीमित न रखकर उसे प्रभावी एवं जीवनोपयोगी बनाने की आवश्यकता है। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठयचर्या निर्माण हो। प्राथमिक विद्यालय आनन्द केन्द्र, संस्कार केन्द्र एवं समग्र शिक्षा केन्द्र के रूप में हो। प्रारम्भिक विद्यालयों में पाठयचर्या के बोझ को कम किया जाय तथा सतत मूल्यांकन प्रक्रिया अपनायी जाय। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के समृद्धि एवं खुशहाली का रास्ता गाँव की गलियों होकर गुजरता है अतः आवश्यक है गांवों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिशिचत किया जाय। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में हमे पुनः सुधार करना होगा। हमें शिक्षा के क्षेत्रीय असमानता को भी कम करना होगा, इसके लिए विकसित राज्यों की रणनीतियों को अपनाया जाना चाहिए। शिक्षा अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र विषय वस्तु नहीं है, यह हमारे सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति से

प्रभावित होती है अतः आवश्यक है कि शिक्षा स्वास्थ्य एवं मानव विकास के अन्य कार्यों के लिए समग्र रूप से योजनाएं क्रियान्वित की जाय।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. तिवारी, आर0सी0 (2007) : भारत का भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ0 533–536
2. राजपूत, जे0एस0 (1994) : प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, परिप्रेक्ष्य, नई दिल्ली, अंक–3 पृ0–125–139
3. शर्मा, ओ0पी0 (2010) : खाध सुरक्षा : सामाजिक विकास की पहल, योजना, नई दिल्ली, अंक–10 पृष्ठ–23, 26
4. डॉ0 महावीर प्रसाद गुप्ता तथा डा0 ममता : भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्यायें, साहित्य प्रकाशन, आगरा, 2012।
5. मुखर्जी, एस0एन0 : एजूकेशन इन इन्डिया; टूडे एण्ड टुमारौ ; बड़ौदा : बुक डिपो, 1966 ।
6. डॉ0 एस0पी0 गुप्ता : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2011।
7. डॉ0 एस0एस0 माथुर : शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधार, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2, 2012।